# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463
Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 5961/26 दिनांक 05/08/2026

**अति महत्वपूर्ण/अति आवश्यक/समयबद्ध**

सेवा में,

**प्रबंधक/प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष,**
समस्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख, प्रशिक्षण संस्थान
उत्तर प्रदेश।

**विषय– शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर मास्टर डाटाबेस (Master Database) लॉक करने एवं नवीन सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रम के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नवत् 05 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं पठन–पाठन राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों एवं अर्हता, सीटों की संख्या एवं करिकुलम के अनुरूप ही किया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु मात्र निम्नलिखित 05 (पांच) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रमों को ही संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है :–

| Diploma Nomenclature for Allied and Healthcare Programmes for Academic Year 2026-27 | | |
|---|---|---|
| **Course Category** | **Diploma Nomenclature (Course Name)** | **Program Duration** |
| Allied and Health Care (Paramedical) | DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY (D.AOTT) | 02 Years 06 months |
| | DIPLOMA OF RADIOTHERAPY TECHNOLOGY (D.RT) | 02 Years 06 months |
| | DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY (D.DT) | 02 Years 06 months |
| | DIPLOMA OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT (D.HIM) | 02 Years 06 months |
| | DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (D.MLT) | 02 Years |

अतः उपरोक्त के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त 05 (पांच) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, यदि कोई भी संस्थान किसी अन्य पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के नाम में भिन्नता होने की स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के प्रथम वर्ष के लिए समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर मास्टर डाटा (Master Data) (फीस/सीट) लॉक करता है, तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा ऐसे संस्थानों को अग्रसारित/सत्यापित नहीं किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संबंधित संस्थान की होगी।

भवदीय,

**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,**
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।